मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२०

सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम को संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९०८ का ५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य का लागू हुए रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

पहली अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(१) आदेश १८ में,—

(एक) नियम ४ में,—

(क) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"वाणिज्यिक न्यायालय में साक्ष्य लेखबद्ध करना";

(ख) उपनियम (१) में, शब्द "प्रत्येक वाद में" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक "कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, २०१५ (२०१६ का ४) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन गठित वाणिज्यिक न्यायालय में विचारण योग्य किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद में" स्थापित किए जाएं;

(दो) नियम ४ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

साक्षियों की परीक्षा खुले न्यायालय में की जाएगी.

"४-क. नियम ४ में यथा उपबंधित के सिवाय, हाजिर साक्षियों का साक्ष्य खुले न्यायालय में न्यायाधीश की उपस्थिति में और उसके वैयक्तिक निदेशन और अधीक्षण में मौखिक रूप से लिया जाएगा.".

आदेश २०-ख का अंत:स्थापन.

(२) आदेश २०-क के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"आदेश २०-ख
इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित आदेशों, निर्णयों और डिक्रियों की मान्यता

१. **इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित आदेशों, निर्णयों और डिक्रियों की मान्यता.**—कोई पारित आदेश, सुनाया गया निर्णय या तैयार की गई डिक्री, जिसका न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित की गई समझी जाएगी, यदि ऐसा आदेश, निर्णय या डिक्री को ऐसी रीति में, जैसी कि उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाए, न्यायाधीश द्वारा किए गए इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया गया है.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २००२ में, केन्द्र सरकार ने, विचारण में विलंब को रोकने तथा न्यायालय के समय की बचत करने के आशय से सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के आदेश १८ के नियम ४ को संशोधित किया है किन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि पक्षकार द्वारा साक्षी के रूप में या साक्षी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में असंगत बातें अंतर्विष्ट होती हैं, जिसमें ऐसी बातें भी होती हैं जो साक्षी के व्यक्तिगत ज्ञान में नहीं होतीं, वस्तुत: संपूर्ण अभिवचन पुन: प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, अतएव, विरोधी पक्षकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह साक्षी के प्रत्येक बिन्दु पर प्रतिपरीक्षा करे, जो कि बहुमूल्य न्यायिक समय का अपव्यय है.

२. साक्षी की प्रतिपरीक्षा के समय, यह अनुभव किया जा रहा है कि साक्षी को शपथ-पत्र पर दिए गए मुख्य परीक्षा में उल्लिखित तथ्यों का कोई ज्ञान नहीं होता और न्यायालय भी साक्षी की भावभंगी को अभिलिखित करने में असफल रहता है, क्योंकि प्रतिपरीक्षा आयुक्त के समक्ष अभिलिखित की जाती है. प्रक्रिया के अनुसार, भले ही मुख्य परीक्षा शपथपत्र पर प्रस्तुत की गई हो, तो भी दस्तावेजों की ग्राहयता को विनिश्चित करने के लिए मुख्य परीक्षा न्यायालय के समक्ष ही अभिलिखित की जाती है.

३. न्यायालय अभिलेखों का डिजिटीकरण समय की आवश्यकता है. ई-न्यायालय परियोजना, राष्ट्रीय नीति एवं ई-समिति (भारत का उच्चतम न्यायालय) द्वारा प्रस्तुत भारतीय न्यायपालिका-२००५ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना, के आधार पर न्यायालयों के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सक्षम बना कर भारतीय न्यायपालिका के रूपांतरण की परिदृष्टि से अवधारित की गई थी. ई-न्यायालय समेकित मिशन रीति परियोजना, देश के उच्च न्यायालयों एवं जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई-गवर्नेस परियोजनाओं में से एक है. ई-न्यायालय परियोजना का उद्देश्य देश में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण द्वारा मुवक्किलों, अधिवक्ताओं एवं न्यायपालिका को अभिहित सेवाओं को प्रदान करना एवं न्याय प्रक्रिया की सूचना एवं संचार सक्षमता की वृद्धि है.

४. मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों में ई-न्यायालय समेकित मिशन रीति परियोजना के अधीन डिजिटीकरण प्रक्रिया जारी है और भविष्य में कागज रहित न्यायालय बनाने की स्कीम है. चूंकि न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के आदेश २० के नियम ३ के अनुसार न्यायाधीश द्वारा हस्तकृत हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है और वर्तमान में डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा निर्णय पर अधिप्रमाणन/हस्ताक्षर का कोई ऐसा उपबंध नहीं है, यदि यह विधि द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया जाता है, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा.

५. उपरोक्त दृष्टिकोण से और विचारण में विलम्ब को रोकने के आशय से तथा न्यायालय के समय की बचत करने हेतु, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के आदेश १८ के नियम ४ को संशोधित करने तथा नियम ४-क को अंत:स्थापित करने तथा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा निर्णय पर अधिप्रमाणन/हस्ताक्षर के संबंध में आगे की परेशानियों से बचने के लिए नए आदेश २०-ख को अंत:स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है.

६. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १४ सितम्बर, २०२०.

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-३ द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का अधिनियम संख्यांक ५) की प्रथम अनुसूची में अंत:स्थापन किए जाने वाले आदेश २०-ख के नियम १ में ऐसा आदेश, निर्णय डिक्री न्यायाधीश द्वारा किए गए इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के माध्यम से किए जाने हेतु नियम विहित किये जाने संबंधी विधायनी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रत्यायोजित की गई है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का अधिनियम संख्यांक ५) से उद्धरण.

मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के आदेश १८ के नियम ४ में.

४. **साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना—(१)** प्रत्येक मामले में, साक्षी की मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र पर होगी और उसकी प्रतियां प्रतिपक्ष को, उस पक्षकार द्वारा दी जाएंगी जो उसे साक्ष्य के लिए बुलाता है:

मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के आदेश २०-क : खर्चे

१. **कुछ मदों के बारे में उपबंध**—खर्चों के बारे में संहिता के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय निम्नलिखित के संबंध में खर्चे अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) वाद संस्थित करने पूर्व किसी सूचना के, जो विधि द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित है, दिए जाने के लिए उपगत व्यय;

(ख) किसी ऐसी सूचना पर उपगत व्यय जो विधि द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित न होने पर भी वाद के किसी पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को वाद संस्थित करने से पूर्व दी गई हो;

(ग) किसी पक्षकार द्वारा फाइल किए गए अभिवचनों को टाइप कराने, लिखने या मुद्रित कराने पर उपगत व्यय;

(घ) वाद के प्रयोजनों के लिए न्यायालय के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए किसी पक्षकार द्वारा संदत्त प्रभार;

(ड) किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को पेश करने के लिए उपगत व्यय चाहे वे न्यायालय के माध्यम से समन न किए गए हों; और

(च) अपीलों की दशा में किसी पक्षकार द्वारा निर्णयों और डिक्रियों की प्रतियां प्राप्त करने में उपगत प्रभार, जो अपील के ज्ञापन के साथ फाइल की जाने के लिए अपेक्षित हैं.

२. **उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खर्चों का अधिनिर्णीत किया जाना**—इस नियम के अधीन खर्चे ऐसे नियमों के अनुसार अधिनिर्णीत किए जाएंगे, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस मिमित्त बनाए जाएं.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.